

न्यायालय:-व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 बैहर के अतिरिक्त व्यवहार
न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)
(पीठासीन अधिकारी:-सिराज अली)

व्य.वाद क्र.-48ए/2013

संस्थित दिनांक-14.08.2013

फाई.क्र.234503003852013

किस्मतलाल सोनी पिता राजाराम सोनी, उम्र-50 वर्ष, जाति सुनार,
 निवासी-ग्राम लिंगा, तहसील परसवाड़ा, जिला बालाघाट (म.प्र.)

- - - - - वादी

बनाम

1-सिरपतलाल सोनी पिता राजाराम सोनी, उम्र-47 वर्ष, जाति सुनार,
 निवासी-ग्राम लिंगा, तहसील परसवाड़ा, जिला बालाघाट (म.प्र.)

2-मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर, बालाघाट
 जिला बालाघाट(म.प्र.)

- - - - - प्रतिवादीगण

-: / / निर्णय / /:-

(आज दिनांक-30/07/2015 को घोषित)

1- वादी ने यह व्यवहार वाद प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण के विरुद्ध मौजा परसवाड़ा प.ह.नं. 6/14 रा.नि.मं. व तहसील परसवाड़ा, जिला बालाघाट स्थित खसरा नंबर 119/3, रकबा 0.65 एकड़ (जिसे आगे विवादित भूमि के नाम से सम्बोधित किया जायेगा) पर स्वत्व की घोषणा तथा स्थाई निषेधाज्ञा हेतु अनुतोष चाहा है।

2- प्रकरण में महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक-1 आपस में सगे भाई हैं तथा उनके पिता राजाराम की वादी, प्रतिवादी क्रमांक-1 सहित 4 पुत्र एवं 2 पुत्रियां हैं। स्व. राजाराम ने अपनी संतानों के मध्य चल-अचल संपत्ति का विभाजन कर दिया था।

3- वादी का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी ने भाईयों व पिता से वर्ष 1985 में अलग होकर अपना साईकिल स्टोर्स की दुकान का व्यवसाय करते हुए व मेहनत-मजदूरी कर प्राप्त आय से दिनांक-22.05.1992 को पंजीयन विक्रयपत्र से विवादित भूमि क्रय कर स्वत्व एवं आधिपत्य प्राप्त किया था। उक्त विक्रयपत्र का पंजीयन के पश्चात् प्रमाणिकरण हेतु राजस्व अभिलेख दुरुस्त करने हेतु प्रतिवादी

क्रमांक-1 को दिया गया था, जिस पर प्रतिवादी क्रमांक-1 ने राजस्व अधिकारियों से मिलकर विवादित भूमि में अपना नाम दर्ज करा लिया। उक्त तथ्य को छुपाने के लिए उसने राजस्व प्रलेख व पट्टा अपने पास रख लिया था। वादी ने वर्ष 2004 में पटवारी के पास लगाने जमा करने हेतु राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया तो विवादित भूमि के सह खातेदार के रूप में प्रतिवादी क्रमांक-1 का नाम दर्ज होने की जानकारी प्राप्त हुई। वादी द्वारा अपने पिता से उक्त बात की शिकायत करने पर प्रतिवादी क्रमांक-1 विवादित भूमि से अपना नाम कटवाने के लिए सहमत हुआ तथा दिनांक-15.01.2004 को 100/-रुपये के स्टाम्प पर एक सहमतिपत्र भी लिख दिया, किन्तु बाद में प्रतिवादी क्रमांक-1 विवादित भूमि से अपना नाम कटवाने से मना कर दिया। विवादित भूमि से प्रतिवादी क्रमांक-1 का नाम विलोपित किये जाने हेतु वादी का आवेदन तहसीलदार परसवाड़ा निरस्त करने पर अपीलीय न्यायालय में राजस्व अपील पेश की गई तथा राजस्व अपील न्यायालय ने अपील निरस्त कर स्वत्व का विषय होने से सिविल न्यायालय में जाने की सलाह दी। वादी ने विवादित भूमि पर उसका एकमात्र स्वत्व प्राप्त होने की घोषणा व प्रतिवादी क्रमांक-1 का नाम राजस्व प्रलेख से काटने के लिए अनुतोष चाहा है।

4- प्रतिवादी क्रमांक-1 ने अपने लिखित कथन में स्वीकृत तथ्य छोड़कर वादपत्र के सभी अभिवचन से इंकार करते हुए अभिवचन किया है कि वर्ष 1992 में विवादित भूमि वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक-1 ने मिलकर सौदा करते हुए विक्रेतागण को प्रतिफल की राशि अदा कर दिनांक-22.05.1992 को विक्रयपत्र निष्पादित कराकर स्वत्व एवं आधिपत्य प्राप्त किया था। चूंकि उस समय वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक-1 का परिवार संयुक्त हिन्दू परिवार था और दोनों की आय से अचल संपत्ति क्रय की जाती थी, इस कारण परिवार का मुखिया बड़ा भाई वादी होने से वह विक्रयपत्र निष्पादित करने बैहर आया था और कपटपूर्वक अकेले का नाम विक्रयपत्र में लिखवा लिया, जबकि विवादित भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक-1 का शामिलता हक एवं कब्जा रहा है। इसी कारण वादी के द्वारा विक्रयपत्र के अनुसार नामांतरण की कार्यवाही में अपने साथ प्रतिवादी क्रमांक-1 का नाम भी दर्ज करवा लिया गया था, जिसकी संशोधन पंजी वादी पर बंधनकारक है। विवादित भूमि वादी की स्वअर्जित न होकर प्रतिवादी क्रमांक-1 की स्वअर्जित भूमि है। प्रतिवादी क्रमांक-1 ने विवादित भूमि का शामिल शरीक कब्जा प्राप्त कर विवादित भूमि को उपजाऊ बनाया है। वादी के द्वारा

परिवारिक विवाद के चलते विवादित भूमि में प्रतिवादी क्रमांक-1 के हिस्से को हड़पने की गरज से यह झूठा दावा पेश किया गया है। अतएव वादी का वाद स्वयं निरस्त किया जावे।

5— प्रतिवादी क्रमांक-2 ने जवाबदावा पेश नहीं किया है तथा वह प्रकरण में एकपक्षीय हैं।

6— उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर प्रकरण में निम्नलिखित वादप्रश्न विरचित किये गये, जिनके निष्कर्ष उनके समक्ष निम्नानुसार अंकित है :-

क्रं.	वाद-प्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या मौजा परसवाड़ा प.ह.नं. 6/14, रा.नि.मं. एवं तहसील परसवाड़ा, जिला बालाघाट स्थित खसरा नंबर 119/3, रकबा 0.65 एकड़ भूमि पर वादी को एकमात्र स्वत्व प्राप्त है ?	प्रमाणित नहीं
2	क्या वादी का वाद समयावधि बाह्य है ?	प्रमाणित नहीं
3	सहायता एवं व्यय ?	निर्णय की अंतिम कंडिका अनुसार

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

वादप्रश्न क्रमांक-1 का निराकरण

7— यह साबित करने का भार वादी पर ही है कि विवादित भूमि का वह एकमात्र स्वामी है। वादी ने अपने पक्ष समर्थन में विवादित भूमि का पंजीयत विक्रयपत्र दिनांक-22.05.1992 की प्रति प्रदर्श पी-4 पेश किया है, जिसमें वादी किस्मतलाल के द्वारा विक्रेता जीवनलाल, सोहनलाल, किशनलाल से खसरा नंबर 119 में से 0.65 एकड़ भूमि क्रय किया जाना लेख है। उक्त विक्रयपत्र की अंतर्वस्तु में वादी के अलावा प्रतिवादी क्रमांक-1 का नाम कथित शामिल शरीक क्रेता के रूप में दर्ज होना प्रकट नहीं होता है। इस प्रकार उक्त रजिस्टर्ड विलेख के अनुसार विवादित भूमि का एकमात्र स्वत्व वादी को प्राप्त होना प्रकट होता है।

8— विवादित भूमि से संबंधित संशोधन पंजी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-7 के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि दिनांक-25.11.1992 को खसरा नंबर 119 में से 0.65 एकड़ भूमि खरीद हक में विक्रेतागण से किस्मतलाल के द्वारा क्रय करने से खरीदी भूमि पर किस्मतलाल अपने भाई सिरपतलाल का नाम भी दर्ज कराना चाहता है, जिस पर राजस्व न्यायालय के प्रकरण के आदेशानुसार वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक-1 का नाम राजस्व अभिलेख में दुरुस्त कर प्रविष्टि प्रमाणित की गई है। यद्यपि प्रकरण में जिस राजस्व प्रकरण के कथित आदेश के अनुसार संशोधन प्रविष्टि किया जाना लेख है, उक्त राजस्व प्रकरण के आदेश की प्रति को पेश नहीं किया गया है और न ही उक्त संशोधन पंजी के मूल अभिलेख को प्रस्तुत कर उसमें वादी व प्रतिवादी क्रमांक-1 के कथित हस्ताक्षर अंकित होने के तथ्य को प्रमाणित किया गया है। उक्त दस्तावेज को वादी ने प्रतिवादी क्रमांक-1 के द्वारा राजस्व अधिकारी से मिलकर फर्जी रूप से तैयार किया जाना बताया है। ऐसी दशा में उक्त दस्तावेज पर वादी की सहमति होने तथा कोई आपत्ति न होने के संबंध में मूल अभिलेख में हस्ताक्षर होना तथा संशोधन पंजी विधिवत् राजस्व न्यायालय के आदेशानुसार तैयार किया जाना प्रमाणित किया जाना आवश्यक था।

9— प्रकरण में प्रस्तुत विवादित भूमि के वर्तमान राजस्व अभिलेख खसरा फार्म व किशतबंदी खतौनी की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी-3 एवं प्रदर्श पी-2 से यह प्रकट होता है कि विवादित भूमि वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक-1 के नाम पर संयुक्त रूप से दर्ज है। राजस्व अपीलीय न्यायालय के आदेश दिनांक-12.02.13 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-6 के अनुसार अपीलीय न्यायालय द्वारा विवादित भूमि पर स्वत्व का विषय होने के कारण क्षेत्राधिकार न होने से उभयपक्ष को सिविल न्यायालय के समक्ष स्वत्व का निराकरण की सलाह देते हुए वादी की राजस्व अपील निरस्त की गई है।

10— वादी किस्मतलाल (वा.सा.1) ने अपने अभिवचन के अनुरूप मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं तथा प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव से इंकार किया है कि वर्ष 1992 में वह तथा प्रतिवादी क्रमांक-1 संयुक्त हिन्दू परिवार में रहकर भूमि क्रय करते थे और विवादित भूमि को संयुक्त रूप से राशि लगाकर क्रय किया है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि सहमति पत्र प्रदर्श पी-5 में यह इन्द्राज है कि खसरा नंबर 119/3 व 118 में उसके हिस्से की जमीन वह बेच चुका है। साक्षी का स्वतः कथन है कि उक्त बात सिरपतलाल ने लिखकर दिया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि विवादित

भूमि में से सिरपतलाल ने भूमि विक्रय करने का कोई विक्रयपत्र निष्पादित नहीं किया है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि सहमतिपत्र प्रदर्श पी-5 में सिरपतलाल का नाम शामिल होने से पटवारी अभिलेख में सिरपतलाल का नाम कटवा लेने की बात हुई थी।

11— रोशनलाल (वा.सा.2) ने वादी का समर्थन करते हुए मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं तथा सहमति पत्र प्रदर्श पी-5 पर उसके हस्ताक्षर होना बताया है, जिसके अनुसार प्रतिवादी क्रमांक-1 ने अपना नाम वादी की भूमि के राजस्व प्रलेख से कटवा लेने की सहमति दी थी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में विवादित भूमि के अलावा खसरा नंबर 118 की भूमि में सिरपतलाल के द्वारा अपना हिस्सा बेचने के संबंध में सहमतिपत्र लिखा जाना स्वीकार किया है। उक्त तथ्य को बाबूलाल (वा.सा.3) ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है।

12— प्रतिवादी सिरपतलाल (प्र.सा.1) ने अपने अभिवचन के अनुरूप मुख्यपरीक्षण में कथन किया है तथा प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने तथा किस्मतलाल ने मिलकर विक्रयपत्र दिनांक-23.12.03 प्रदर्श डी-2 के अनुसार खसरा नंबर 118/8 व 119/4 में से भूमियों का विक्रय किया है और उक्त भूमि विवादित भूमि से अलग है, जो उनकी पुश्तैनी भूमि है। इस प्रकार विक्रयपत्र दिनांक-23.12.03 प्रदर्श डी-2 में उल्लेखित खसरा नंबर की भूमि वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक-1 के द्वारा विक्रय किये जाने के तथ्य का विचार में रखते हुए सहमति पत्र दिनांक-15.11.04 प्रदर्श पी-5 में उल्लेखित इबारत खसरा नंबर 119 व 118 की अपने हिस्से की जमीन बेच चुका होने के संबंध में यह उपधारणा की जा सकती है कि प्रदर्श डी-2 के विक्रयपत्र के अनुसार प्रतिवादी क्रमांक-1 के द्वारा जमीन बेचने की सहमति दी गई है।

13— वादी की ओर से सहमति पत्र प्रदर्श पी-5 को इस आशय से साक्ष्य में पेश किया गया है कि विवादित भूमि में प्रतिवादी क्रमांक-1 का नाम शामिल शरीक होने से उक्त सहमति के अनुसार प्रतिवादी क्रमांक-1 राजस्व अभिलेख में उसका नाम कटा लेगा। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि उक्त सहमति पत्र प्रदर्श पी-5 में प्रतिवादी क्रमांक-1 द्वारा अपने हिस्से की पूरी जमीन बेच चुके होने के संबंध में किसी भी पक्ष के द्वारा कोई विक्रयपत्र या दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है, बल्कि उभयपक्ष के द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य से यह अधिसंभावना प्रकट होती है कि

प्रतिवादी क्रमांक-1 द्वारा विवादित भूमि में से उसके हिस्से की कथित भूमि का विक्रय किये जाने की सहमति न होकर विक्रयपत्र दिनांक-23.12.03 प्रदर्श डी-2 के अनुसार भूमि के विक्रय किये जाने की सहमति दी गई है। एक रजिस्टर्ड विलेख के विरुद्ध किसी भी हक त्याग या अंतरण की लिखत जो रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा-17 के अंतर्गत अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रीकृत होना अपेक्षित है, किन्तु ऐसी लिखत रजिस्टर्ड न हो, तो उसका कोई महत्व नहीं होता। वास्तव में सहमति पत्र प्रदर्श पी-5 की अपंजीयत लिखत से किसी भी पक्ष को कोई अधिकार या हित का सृजन नहीं होता है। सहमतिपत्र प्रदर्श पी-5 से केवल यह तथ्य प्रमाणित होता है कि विक्रयपत्र दिनांक-23.12.03 प्रदर्श डी-2 के अनुसार प्रतिवादी क्रमांक-1 के द्वारा खसरा नंबर 119, 118 में अपने हिस्से की भूमि बेचने की सहमति के साथ विवादित भूमि खसरा नंबर 119/3 पर शामिल शरीक नाम को काटने की सहमति दी गई है।

14- प्रतिवादी पक्ष की ओर से यह तर्क पेश किया गया है कि विवादित भूमि को क्रय करने के पश्चात् वादी के द्वारा प्रतिवादी क्रमांक-1 का नाम सहमति से संशोधन पंजी में दर्ज कराकर विवादित भूमि के राजस्व अभिलेख में प्रविष्टि कर नामांतरण कार्यवाही की गई थी तथा वादी ने प्रतिवादी क्रमांक-1 के स्वत्व को स्वीकार कर लेने से विबंध का सिद्धांत लागू होता है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि अचल संपत्ति के रजिस्टर्ड विलेख के खण्डन में पक्षकारण के कार्य व आचरण से ऐसे रजिस्टर्ड विलेख के विरुद्ध विबंध का सिद्धांत लागू नहीं किया जा सकता है। ऐसी दशा में प्रतिवादी पक्ष के द्वारा विवादित भूमि पर कथित हक प्राप्त होने के संबंध में ऐसे किसी विबंध का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

15- वादी के द्वारा विवादित भूमि के पंजीयत विक्रयपत्र प्रदर्श पी-4 में एकमात्र क्रेता के रूप में वादी का नाम दर्ज होने से यह उपधारणा की जा सकती है कि विवादित भूमि को केवल वादी के द्वारा ही क्रय किया गया है। प्रतिवादी क्रमांक-1 का यह अभिवचन है कि उसके द्वारा विवादित भूमि को वादी के साथ संयुक्त हिन्दू परिवार की आय से क्रय किया गया था। प्रतिवादी क्रमांक-1 ने उक्त तथ्य को साबित करने हेतु ऐसी साक्ष्य पेश नहीं की है कि विवादित भूमि के क्रय किये जाने के समय कथित संयुक्त हिन्दू परिवार का अस्तित्व विद्यमान था। प्रतिवादी की ओर से यह भी साबित नहीं किया गया है कि सभी सदस्यों की आय का केन्द्रक अस्तित्व में होकर उसकी राशि से संयुक्त संपत्ति का क्रय किया गया था। यदि तर्क के लिए संयुक्त

हिन्दू परिवार का अस्तित्व मान भी लिया जाए तो प्रतिवादी क्रमांक-1 की ओर से इस तथ्य का खुलासा नहीं किया गया है कि वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक-1 के अलावा उनके अन्य भाई-बहन व परिवार के अन्य सदस्यों का नाम भी भूमि क्रय करते समय विक्रयपत्र में शामिल क्यों नहीं किया गया। इस प्रकार प्रतिवादी क्रमांक-1 के द्वारा संयुक्त हिन्दू परिवार के अस्तित्व होने के संबंध में स्पष्ट अभिवचन नहीं किया गया है तथा उक्त के संबंध में प्रस्तुत कमजोर साक्ष्य से यह उपधारणा नहीं की जा सकती कि वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक-1 का संयुक्त हिन्दू परिवार का अस्तित्व होकर संयुक्त आय से संपत्ति क्रय की जाती रही है।

16— भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा-91 यह उपबंधित करती है कि दस्तावेजी साक्ष्य सर्वोत्तम साक्ष्य है तथा उस संव्यवहार को साबित करने के लिए कोई साक्ष्य पेश नहीं किया जाएगा, सिवाए उसी दस्तावेज के या उसकी अंतर्वस्तुओं के द्वितीयक साक्ष्य के जहां ऐसा साक्ष्य ग्राह्य है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा-92 के अंतर्गत धारा-91 के अनुसार साबित किये गए दस्तावेज के निबंधन का खण्डन करने या उनमें फेरफार करने या जोड़ने या घटाने के प्रयोजन के लिए कोई मौखिक साक्ष्य या कथन ग्रहण नहीं किया जाएगा। यद्यपि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा-92 के परंतुक के अंतर्गत ऐसे दस्तावेज को अविधिमान्य बना देने वाले कपट आदि के विषय में साक्ष्य व कथन प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रतिवादी क्रमांक-1 ने वादी के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रयपत्र प्रदर्श पी-4 के खण्डन कपट पर आधारित मौखिक साक्ष्य पेश किया है। यद्यपि वादी के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड विलेख में कथित कपट कारित किये जाने के तथ्य को प्रतिवादी क्रमांक-1 की ओर से मौखिक साक्ष्य से प्रमाणित नहीं किया गया है।

17— प्रतिवादी क्रमांक-1 ने अपने लिखित कथन में यह अभिवचन किया है कि वादी ने दिनांक-30.05.2009 को विवादित भूमि में से 0.05¹/₄ डिसमिल भूमि को वादी के द्वारा अपने हिस्से में से श्रीमती चमन रहांगडाले को विक्रय किया है। प्रतिवादी पक्ष की ओर से वादी किस्मतलाल के द्वारा विवादित भूमि के खसरा नंबर 119/3 में से 0.05 डिसमिल भूमि दिनांक-30.05.2009 को विक्रय किये जाने के संबंध में उक्त विक्रयपत्र की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श डी-1 पेश की गई है। इसके अलावा स्वयं वादी की ओर से प्रस्तुत अनुविभागीय अधिकारी बैहर के द्वारा राजस्व अपील में पारित आदेश

दिनांक-12.02.13 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-6 में भी यह उल्लेखित है कि अपीलार्थी किस्मतलाल अर्थात् वादी के द्वारा विवादित भूमि में से 0.15¹/₄ डिसमिल भूमि का विक्रय किया जा चुका है तथा 0.49 ¹/₄ डिसमिल भूमि शेष है। उक्त साक्ष्य से यह तथ्य प्रकट होता है कि वादी ने विवादित भूमि खसरा नंबर 119/3 रकबा 0.65 एकड़ पर एकमात्र स्वत्व प्राप्त होने की घोषणा चाही है, किन्तु वास्तव में उक्त विवादित भूमि में से कुछ भूमि का विक्रय वादी के द्वारा किया जा चुका है। वादी ने वास्तविक तथ्यों को छुपाते हुए यह वाद स्वच्छ हाथों से पेश नहीं किया है।

18— प्रतिवादी क्रमांक-1 की ओर से वादी का विवादित भूमि के एकमात्र क्रेता होने की उपधारणा का खण्डन नहीं किया गया है। ऐसी दशा में प्रतिवादी क्रमांक-1 का विवादित भूमि पर कोई हक या अधिकार होना प्रकट नहीं होता है। प्रकरण में वादी के द्वारा विवादित भूमि खसरा नंबर 119/3 रकबा 0.65 एकड़ पर के एकमात्र स्वामी होने की घोषणात्मक अनुतोष की सहायता चाही गई है, किन्तु उक्त विवादित भूमि में से कुछ रकबा का वादी के द्वारा पूर्व में विक्रय किया जाना प्रकट होता है तथा विक्रय की गई भूमि के क्रेता को वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है और न ही उक्त विक्रय किये जाने वाली भूमि के संबंध में वादी ने कोई अभिवचन किया है। ऐसी दशा में वादी के द्वारा वाद में वास्तविक तथ्य को छुपाकर स्वच्छ हाथों से दावा पेश नहीं किया गया है। वादी का विवादित भूमि के खसरा नंबर 119/3 के संपूर्ण रकबा 0.65 एकड़ पर स्वत्व प्राप्त होना प्रकट नहीं होता है। इस प्रकार वादी यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि विवादित भूमि खसरा नंबर 119/3 रकबा 0.65 एकड़ पर उसका एकमात्र स्वत्व है। अतएव वादप्रश्न क्रमांक-1 "प्रमाणित नहीं" के रूप में निराकृत किया जाता है।

वादप्रश्न क्रमांक-2 का निराकरण

19— वादी ने वादपत्र में विवादित भूमि पर रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के आधार पर स्वत्व प्राप्त होने की घोषणा चाही है तथा अभिवचन में वाद प्रस्तुत करने का कारण राजस्व अपील द्वारा दिनांक-12.02.2013 को पारित किये गए आदेश के अनुसार स्वत्व का विषय होने से सिविल न्यायालय में जाने की सलाह दिया जाना प्रकट किया है। वादी द्वारा उक्त वाद कारण उत्पन्न होने की दिनांक से यह वाद समय अवधि के भीतर पेश किया जाना बताया है। ऐसी दशा में यह साबित करने का भार प्रतिवादी

क्रमांक-1 पर है कि वादी का वाद समयावधि बाह्य है। प्रतिवादी क्रमांक-1 ने विवादित भूमि पर स्वयं का कोई हक या अधिकार होना प्रमाणित नहीं किया है, जबकि वादी का विवादित भूमि पर रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के आधार पर क्रेता के रूप में स्वत्व प्राप्त होना प्रकट होता है। वादी ने विवादित भूमि पर स्वत्व आधारित घोषणात्मक अनुतोष चाहा है, जिस हेतु प्रस्तुत वाद कारण से वादी का वाद समय अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाना प्रकट होता है। इस प्रकार वादी का वाद समय अवधि के भीतर प्रस्तुत होने से वादप्रश्न क्रमांक-2 "प्रमाणित नहीं" के रूप में निराकृत किया जाता है।

सहायता एवं व्यय

20— वादी ने विवादित भूमि पर अपना एकमात्र स्वत्व प्राप्त होना प्रमाणित नहीं किया है। अतएव वादी का वाद निरस्त करते हुए निम्नानुसार आज्ञाप्ति पारित की जाती है :—

(1) वादी का वाद निरस्त किया जाता है।

(2) वादी अपने साथ प्रतिवादीगण का भी वाद व्यय वहन करेगा तथा अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर नियमानुसार देय होगी।

उपरोक्तानुसार आज्ञाप्ति तैयार की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर के
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,
बैहर

(सिराज अली)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर के
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,
बैहर